बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 20.02.2026
थाना भमोरा जनपद बरेली।

थाना भमोरा पुलिस व ANTF टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 10 किलो ग्रा0 अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड 10 लाख रुपये) के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः- दिनांक 20.02.2026 को ANTF टीम को सूचना प्राप्त हुई कि प्रेम गिरी पुत्र नरेश गिरी निवासी ग्राम सिरसवा थाना बिनावर जनपद बदायूं जो कि झारखंड से अफीम लाकर यहां सप्लाई करता है, कल अफीम की खेप लेकर जम्मू तवी एक्सप्रेस से आया है उसके साथ एक झारखंड की रहने वाली महिला तस्कर भी है तथा बरेली में कहीं रुका है। अफीम लेकर वह बरेली बदायूं रोड से होकर अपने गांव सिरसवा जाएगा उक्त सूचना पर ANTF व थाना भमोरा पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में बरेली बदायूँ रोड पर ग्राम सिरोई स्थित शिव ब्रिकफील्ड जाने वाले रास्ते से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा जनपद बरेली में मादक पदार्थ की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी आँवला के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष भमोरा के नेतृत्व में आज दिनांक 20.02.2026 को ANTF व थाना भमोरा पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना के आधार पर 1.प्रेम गिरी पुत्र नरेश गिरी निवासी ग्राम सिरसवा थाना बिनावर जनपद बदायूं तथा अभियुक्ता 2. धर्मी देवी पत्नी भिखलाल दांगी नि0 ग्राम बेलहर थाना बरवाती जिला चतरा राज्य झारखंड को बरेली बदायूँ रोड पर ग्राम सिरोई स्थित शिव ब्रिकफील्ड जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के बैग से कुल 10 किलो अवैध अफीम बरामद हुई तथा अभियुक्त गण के कब्जे एक मोबाइल फोन मोटोरोला एज 60 फ्यूजन रंग नीला, 02 रेल टिकट व 1190 रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना भमोरा पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 8/18/29 NDPS ACT. पंजीकृत किया गया। अभियोग में अन्य नामित/वाँछित की तलाश की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ–
गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के क्रम में बताया कि हम लोग अपने यहां पहाडी पर अफीम की खेती करते हैं । प्रेम गिरी मेरा दामाद हैं। प्रेम गिरी की वाट्सएप कॉल के माध्यम से अभियोग में अन्य नामित (ओमप्रकाश नि0 नामालूम) से बरेली अफीम लाने के सम्बन्ध में बात हुई थी। झारखण्ड से यहाँ बरेली अफीम बेचने आते रहते हैं तथा हम लोग अफीम बेचकर जो मुनाफा कमाते हैं उसको आपस में बराबर बराबर बाँट लेते हैं। मेरा दामाद प्रेम गिरी झारखण्ड गया था तथा मुझे अफीम सप्लाई करने के सम्बन्ध में बताया था तो हम दोनों लोग अफीम की खेप लेकर यहाँ सप्लाई करने आये थे, क्योकि यहाँ पर अफीम अच्छे दामों में ब्रिक्री कर हम लोग अधिक मुनाफा कमाते हैं। आज भी हम लोग यहाँ अभियोग में अन्य नामित ओमप्रकाश को अफीम बेचने आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-
1. प्रेम गिरी पुत्र नरेश गिरी निवासी ग्राम सिरसवा थाना बिनावर जनपद बदायूं।
2. धर्मी देवी पत्नी भिखलाल दांगी नि0 ग्राम बेलहर थाना बरवाती जिला चतरा राज्य झारखंड।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण –
मु0अ0सं0 102/2026 धारा 8/18/29 NDPS ACT. थाना भमोरा जिला बरेली।

बरामदगी–
1. कुल 10 किलो ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड 10 लाख रुपये)
2. एक मोबाईल व 1190 रूपये

पुलिस टीम -
1. थानाध्यक्ष सनी चौधरी थाना भमोरा बरेली।
2. उ0नि0 मनोज कुमार थाना भमोरा बरेली।
3. का0 जितेन्द्र थाना भमोरा बरेली।
4. म0का0 कुसुम थाना भमोरा बरेली।
5. ANTF टीम बरेली।